रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2054] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2017/श्रावण 3, 1939
No. 2054] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2017/SRAVANA 3, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2017

का.आ. 2319(अ).— केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) के उपाबंधों को न्यायालय फीस (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का पंजाब अधिनियम 8) द्वारा यथासंशोधित के रूप में जैसा कि पंजाब राज्य में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त है, न्यायालय फीस (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2016 में निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को विस्तारित करती है, अर्थात् :—

उपांतरण

1. धारा 1 की उप-धारा (1) में, "न्यायालय फीस (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2016" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ पर यथा विस्तारित न्यायालय फीस (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2016" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

2. धारा 2 में, "पंजाब राज्य के लिए इसके लागू होने पर न्यायालय फीस अधिनियम, 1870", शब्दों और अंकों के स्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के लिए इसके लागू होने पर न्यायालय फीस अधिनियम, 1870" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. यू-11020/1/2016-यूटीएल]

प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

उपाबंध

न्यायालय फीस (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2016

न्यायालय फीस (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2016, 25 अप्रैल, 2016 को पंजाब के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई थी और पंजाब सरकार राजपत्र असाधारण, तारीख 28 अप्रैल, 2016 (वैशाख 8, शक 1938) में प्रकाशित किए गए थे।

(2016 का पंजाब अधिनियम सं. 8)

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष पंजाब राज्य के विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।	1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम न्यायालय फीस (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2016 है। (2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगी जिसे सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत कर सकेगी।	

केन्द्रीय अधिनियम 1870 का 7 की धारा 26 का प्रतिस्थापन ।	**2.** न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 में, पंजाब राज्य में इसके लागू होने पर, धारा 26 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-		
	"26. स्टांपों को छापित या आसंजक होना ।	(1) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य किसी फीस को द्योतन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्टांप छापित या आसंजक अथवा भागतः छापित और भागतः आसंजक होंगे जैसा समुचित सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर निर्देश दें ।	
	(2) उपधारा (1) और धारा 25 के प्रयोजनों के लिए "स्टांप" से समुचित सरकार द्वारा सम्यक अभिकरण या व्यक्ति द्वारा कोई चिन्ह, मुहर या पृष्ठांकन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य न्यायालय फीस के प्रयोजनों के लिए छापित या आसंजक सम्मिलित है ।		

स्पष्टीकरण : "छापित स्टांप" जिसमें फ्रैकिंग मशीन या कोई अन्य मशीन या ई-स्टांपित या उसी तरह के साफ्टवेयर द्वारा सृजित अनन्य संख्या सम्मिलित है जो समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सके ।"

विवेक पुरी, सचिव, पंजाब सरकार, विधिक और विधायी विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2017

S.O. 2319(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the provisions of the Court Fees Act, 1870 (7 of 1870), as amended by the Court Fees (Punjab Amendment) Act, 2016 (Punjab Act No. 8 of 2016), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications in the Court Fees (Punjab Amendment) Act, 2016, namely:—

MODIFICATIONS

1. In sub-section (1) of section 1, for the words, brackets and figures "the Court Fees (Punjab Amendment) Act, 2016", the words, brackets and figures "the Court Fees (Punjab Amendment) Act, 2016 as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

2. In section 2, for the words and figures "In the Court Fees Act, 1870, in its application to the State of Punjab", the words and figures "In the Court Fees Act, 1870 in its application to the Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

[F. No. U-11020/1/2016-UTL]

PRAVEEN KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy.

ANNEXURE

THE COURT FEES (PUNJAB AMENDMENT) ACT, 2016

Received the assent of the Governor of Punjab on the 25th day of April, 2016 and was published in the Punjab Government Gazette, Extraordinary, dated April 28, 2016 (Vysk 8, 1938 Saka).

(PUNJAB Act No. 8 of 2016)

An

Act

BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Court Fees (Punjab Amendment) Act, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Substitution of section 26 of Central Act 7 of 1870

2. In the Court Fees Act, 1870, in its application to the State of Punjab, for section 26, the following section shall be substituted, namely:-

"26. (1) The stamps used to denote any fee chargeable under this Act shall be impressed or adhesive or partly impressed and partly adhesive as the Appropriate Government may; by notification in the Official Gazette, from time to time direct.

Stamps to be impressed or adhesive

(2) For the purposes of sub-section (1) and section 25, "stamp" means any mark, seal or endorsement by any agency or person duly authorized by the appropriate Government, and includes an adhesive or impressed stamp, for the purposes of Court fees chargeable under this Act.

Explanation : "Impressed stamp" includes impression by a franking machine or any other machine, or a unique number generated by e-stamping or similar software, as the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, specify."

VIVEK PURI, Secy. to Government of Punjab, Department of Legal and Legislative Affairs

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.07.25 23:15:41 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.